भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 351

सोमवार, 18 अगस्त, 2025 / 27 श्रावण, 1947 (शक)

पेंशन योजनाएं

***351. श्री मुकेश राजपूतः**

श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा निर्माण (कंस्ट्रक्शन) कामगारों, व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगारों के लिए कोई पेंशन योजना चलाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भवन और अन्य निर्माण कामगारों (बीओसीडब्ल्यू) के लिए सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भवन और अन्य निर्माण कामगारों का कोई डाटाबेस रखा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई डिजिटल प्रणाली लागू है जिसके माध्यम से भवन और अन्य निर्माण कामगार सरकार की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं; और

(ङ) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) की वर्तमान स्थिति और वित्तीय निहितार्थ क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

"पेंशन योजनाएं" के संबंध में माननीय सांसद श्री मुकेश राजपूत द्वारा दिनांक 18.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 351* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): केंद्र सरकार, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 [अधिनियम], भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 [उपकर अधिनियम] और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को प्रशासित करती है। इस अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारों को विभिन्न कार्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड का गठन करने के लिए अधिदेशित किया गया है, जिनमें भवन कामगारों को बोर्ड द्वारा पेंशन योजना प्रदान करना भी शामिल है। राज्य सरकारों को बोर्ड के कामकाज पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए नियोक्ता पर सन्निर्माण की कुल लागत के 1% की दर पर उपकर लगाने का भी अधिकार दिया गया है।

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना सितंबर, 2019 में शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें खुदरा व्यापारियों/दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् 3000/- रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की गई थी। यह, केन्द्र सरकार द्वारा समान राशि के अंशदान वाली एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात 3000/- रुपये की न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है।

केंद्र सरकार ने पेंशन योजना तैयार करने सहित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एक आदर्श कल्याण योजना, 2018 जारी की गई है। आदर्श कल्याण योजना के सामाजिक सुरक्षा लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ, भवन कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति कवर, बच्चों की शिक्षा, आवास, कौशल विकास, कल्याण योजनाओं और पेंशन के लिए जागरुकता कार्यक्रम शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपकर निधि के उपयोग की निगरानी केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा की जाती है। यह समिति श्रम विभाग और बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ नियमित अंतराल पर विचार-विर्मश करती है। इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय बैठकें और राष्ट्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

केंद्र सरकार के पास ई-श्रम पोर्टल पर स्व-पंजीकृत भवन और अन्य सनिर्न्माण कामगारों का डेटाबेस उपलब्ध है। इसके साथ ही, राज्य भी, तिमाही आधार पर, केंद्र सरकार को बीओसीडब्ल्यू एमआईएस पोर्टल पर, पंजीकृत भवन और अन्य सनिर्न्माण कामगारों के डेटा की रिपोर्ट देते हैं। राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बोर्ड के साथ पंजीकृत पात्र भवन और अन्य

सनिर्न्माण कामगारों को कल्याण योजनाओं के लाभ जैसे, दुर्घटना के मामले में तत्काल सहायता, पेंशन का भुगतान, मकान के निर्माण हेतु ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना, बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता आदि प्रदान करता है।

(ङ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 एक 'परिभाषित अंशदान - परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर पर अंशदान; और (ii) केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर पर अंशदान, ₹15000/- प्रति माह तक, की राशि से मिलकर बना है। योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान ऐसी संचित निधि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यथाअधिदेशित इस निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएस-95 का बजटीय अनुमान 11250 करोड़ रुपये (1.16% अंशदान हेतु 10250 करोड़ रुपये + न्यूनतम पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपये) है।

*****